(iv) two years' experience in software application for examination and results automation software. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/70/2018-PT]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (अराजपत्रित–अलिपिकवर्गीय कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1982 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रयोगशाला तकनीशियन (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं, आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवययक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों लिए आयु–सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रयोगशाला तकनीशियन।	02* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (रू. 35400–112400)	लागू नहीं होता ।	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)।	(क) आवश्यक अर्हता : – (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बी.एससी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी) ; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बी.एससी (भौतिकी या रसायन विज्ञान या गणित या जीव विज्ञान) के साथ डिप्लोमा चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी ; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.टेक (जैव प्रौद्योगिकी)। **अनुभव:** (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष । **टिप्पणः** केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रतिनियुक्तिः** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकारी ; (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो, या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर 5, (रु 29200–92300) में या समतुल्य मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हो । **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि□□□ समिति (पुष्टि□□□ पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. संयुक्त निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य; 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 23011/74/2018–पुलिस प्रशिक्षण]

रमण कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the, 4th October, 2023

G.S.R. 130—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Non-gazetted, Non-Ministerial Staff) Recruitment Rules 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Technician in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Laboratory Technician (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for the reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	(2)	(3)	(4)
Laboratory Technician.	02* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group, 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not exceeding thirty years (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issue by Central Government.)	**(a) Essential qualification**: (i) B.Sc (Medical Lab Technology) from a recognised institution or university; or (ii) B.Sc (Physics or Chemistry or Mathematics or Biology) with diploma (Medical Lab Technology) from a recognised institution or University; or (iii) B. Tech (Bio Technology) from a recognised University or institution.	Not applicable.

		Experience: (i) one year experience in a recognised Medical Laboratory. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**
(9)	**(10)**
Two years. for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Deputation: Officer of the Central Government or State Government or Union territory Administrations; (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as specified for direct recruits under Column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Joint Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Chairman; 2. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy – Member; 3. Chief Medical Officer or Senior Medical Officer, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 23011/74/2018-Police Training]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 131.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सहायक पर्यवेक्षक (लेखा) और सहायक पर्यवेक्षक (लेखा परीक्षा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, सहायक पर्यवेक्षक (लेखा) और सहायक पर्यवेक्षक (लेखा परीक्षा) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर–** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **आरंभिक गठन-** ऐसे पदधारी, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सहायक पर्यवेक्षक (लेखा) और सहायक पर्यवेक्षक (लेखा परीक्षा) का पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के अधीन अनुसूची में वर्णित तत्समान पद पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा उक्त नियमों के प्रारम्भ से पूर्व उक्त पद पर नियमित आधार पर की गई सेवा को प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि की अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. **निरर्हता-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: